



प्रेस नोट

थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर

श्रीमान जिला अधिकारी महोदय के आदेश पत्रक न्यायालय जिला अधिकारी मण्डल प्रयागराज जनपद तहसील वाद सं० – 831/2021 कंप्यूटरीकृत वाद सं०- D202202250000831 सरकार बनाम शेख एजाज अहमद सिद्दीकी उर्फ बाक्सर अन्तर्गत धारा – 14(1) अधि० – गिरोहबंद एवं असमाजिक क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम – 1986 दिनांक 24.06.2022 के अनुपालन में अपराधी शेख एजाज अहमद सिद्दीकी उर्फ बाक्सर पुत्र नसीम अहमद सिद्दीकी निवासी मो० – 9 पनी थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर सम्बन्धित मु०अ०सं० – 353/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर के तहत अपराधी शेख एजाज अहमद सिद्दीकी उर्फ बाक्सर उपरोक्त द्वारा गिरोहबन्द अपराध करके अपने व अपने परिवारीजन एवं अपने गैंग के अन्य सदस्यों के आर्थिक व भौतिक एवं दुनियाबी लाभ के लिये अवैध सम्पत्ति अर्जित कर उसका उपभोग किया जा रहा है। उक्त आदेश के अनुपालन में निम्नलिखित अचल सम्पत्ति को राजस्व टीम व पुलिस बल व पी.ए.सी फोर्स के द्वारा कुर्क की गयी –

क्रम सं०	ग्राम	गाटा सं०	क्षेत्रफल	मालियत रु० मे (मूल्यांकन सूची के अनुसार)
1.	प्लाट उधरनापुर	140	56 वर्ग मीटर	30,8000
2.	भूमि शेखपुरा उनवा	190	1296 वर्ग मीटर	32,37000
3.	भूखंड भरहरा	481	138 वर्ग मीटर	10,77,000
4.	भूमि हस्वा	652	1536 वर्ग मीटर	53,8000
कुल योग				51,60,000/रु०

नोट:- शेष कुर्क सम्पत्ती कर जब्तीकरण की कार्यवाही प्रचलित है।

कुकु करुने वरुली टीडु करु वलवरण -

ररकुसुवु टीडु तहसुील सदर-		<u>डुललसु टीडु करु वलवरण-</u>	
1	एसडीएम श्री नंद डुरकरश डुरुडु	1.	शुरीडुडुन कुषुतुररधलकररुी नगर डुहोदुडु श्री दलनुश कुनुदुर डुलशुरर
2	नरडुडु तहसुीलदरर श्री वलकरस डुरर डुलणुडेडु	2	डुरडुडुडुी नलरुीकुषुक अडुलत कुडुडुडु डुलशुरर
3	ररकुसुवु नलरुीकुषुक श्री कुतुनुदुर सुललु	3	व0उ0नल0 सुतुडुष कुडुडुडु सुललु
4	ररकुसुवु नलरुीकुषुक ररडु रुरुडु	4	उ0नल0 श्री ररडु सरहडुडु डुडुदव कुुकी डुरडुडुडुी रुरुडेकु
5	लेखडुल रघुररकु	5	उ0नल0 वलकरस सुललु कुुकी डुरडुडुडुी आडु नगर
6	लेखडुल ररहुल शुरीवरसुतुव	6	करु0 शलवरकरनुत सुललु
7	लेखडुल सुनूल कुडुडुडु	7	करु0 सतुडुडु सुललु ररकुडुवत
8	लेखडुल वलशुक कुडुडुडु	8	करु0 नलरकु डुडुदव
9	लेखडुल ररडु डुरकरश सुललु	9	डु0करु0 नरुुश कुडुडुडुी
		10	डु0करु0 कुषुडु

डुरडुडुडुी नलरुीकुषुक
थरनर कुुतवरली
कुनडुद डुतुहडुडु

आवश्यक सूचना
यह सम्पत्ति जिलाधिकारी
महोदय फतेहपुर के आदेश
पर कुर्क की गयी है। इस
सम्पत्ति पर हस्तक्षेप
निषेध है।
जयपुर जे.
जिलाधिकारी
फतेहपुर

